न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम शेषनरायन सिंह आदि

सत्र परीक्षण संख्या–631/2011

अप०सं०–304/2011

धारा–302, 120 बी, भा०दं०सं०

थाना–देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

पत्रावली पेश हुई है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 30 ख के निस्तारण हेतु नियत है। अभियुक्त चन्दन की ओर से प्रार्थनापत्र 30 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण लटकने से स्वाश अवरोध के फल स्वरूप मृत्यु का घटित होना बताया जाता है। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य में साजिश की भूमिका से अभ्यारोपित अभियुक्त चाद हुसैन को मामले से बरी कर दिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध यह साक्ष्य प्रकाश में आया कि पूर्व में हुई पंचायत के दौरान चन्दन सिंह भी पंचायत में शामिल था इसी आधार पर चन्दन सिंह ने इस मामले में साजिश की भूमिका के अभ्यारोपण के साथ नामित कर दिया गया। विवेचना के दौरान बहुत विलम्ब से एक साक्ष्य निर्मित की गयी है कि घटनास्थल पर एक हजार रूपये की नोट पड़ी हुई मिला जिस पर चन्दन सिंह व अजय सिंह लिखा हुआ था। पंचायतनामा की कार्यवाही के समय पंचायतनामा के प्रथमपृष्ठ पर उक्त नोट के पाये जाने का कोई जिक्र नहीं है। प्रार्थी का पूनम के ससुरालीजनों से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं है। दहेज के लिए ससुराली जनों द्वारा कथित हत्या के अपराध में प्रार्थी की साजिश का न तो कोई औचित्य है और न ही इसकी दूर-दूर तक सम्भावना है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को आरोप से उन्मोचित करने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा सम्यक विवेचना के उपरान्त ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उन्मोचित किये जाने का आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा की जाय।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 11/12.05.2011 को समय अदम तहरीर में उल्लिखित घटना को लेकर वादी मुकदमा मनिकराज सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी नरसिंहपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तगण शेषनाथ सिंह, हृदय नरायन सिंह पुत्र साहब सिंह, धीरेन्द्र उर्फ धुरन्धर पुत्र रामप्रताप सिंह , अरविन्द पुत्र रामनन्दन, अमरावती पत्नी शेषनाथ निवासी ठकठउवा (कठौनी) थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, अजय सिंह पुत्र अज्ञात, चन्दन सिंह पुत्र किरत निवासी करियागोपालपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध थाना स्थानीय देवगांव में दिनांक 12.05.2011 को समय 17.40 पी.एम. पर मु०अ०सं० 304/2011 अन्तर्गत धारा–302, 120 बी भा०दं०सं०

किता किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा –161 दं०प्र०सं०, पुलिस प्रपत्र, पी.एम. रिपोर्ट, नक्शा–नजरी, आदि के परिशीलन करने के उपरान्त दिनांक 29.09.2011 को वाद विवेचना कर अभियुक्तगण शेषनरायन सिंह, श्रीमती अमरावती सिंह, चन्दन सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 154/11 अन्तर्गत धारा–302, 120 बी भा०दं०सं० विचारण हेतु प्रेषित किया है जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29.09.2011 संज्ञान लिया जा चुका है मामला सत्र न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही विचारण हेतु दिनांक 09.11.2011 को सत्र सुपुर्द की गयी।

बचावपक्ष द्वारा उन्मोचन हेतु जो तर्क प्रस्तुत किये गये है उन्हें साबित करने का भार बचावपक्ष पर है, जिसे साबित करने हेतु अवसर दौरान विचारण बचावपक्ष को प्रदान किया जायेगा। इस स्तर पर बचावपक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप विरचन हेतु ग्राह्य नहीं है।

पलबिन्दर सिंह बनाम बलबिन्दर सिंह 2009(65) ई.सी.सी 399 सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मैटेरियल का विस्तार से परीक्षण करने की आवश्यता नहीं है। और न ही इस सम्बंध में गहराई से साक्ष्य के गुण–दोष पर विवेचना की आवश्यकता है।

इसी प्रकार उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाणि 2005(51) ए.सी.सी 209 सुप्रीम कोर्ट) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचन अथवा उन्मोचन के इस स्तर पर गम्भीरत से जांच की आवश्यकता नही हैं। क्योंकि ऐसा करना सूक्ष्म विचारण की परिधि में आ जायेगा जो कि दाण्डिक विधि के स्थापित सिद्धान्तों विपरीत है।

अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन प्रपत्रों से यह प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि अभियुक्त चन्दन सिंह के विरूद्ध धारा 302, 120 बी भा०दं०सं० में आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त चन्दन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 30 ख निरस्त किया जाता है। अभियुक्त चन्दन के विरूद्ध धारा 302, 120 बी में आरोप विरचित किया जाय। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन **लंच पश्चात** पेश हो।

दिनांक–15.07.2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 01, आजमगढ़।